आवश्यक/महत्वपूर्ण/ई-मेल/डाक द्वारा

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1
संख्याः बारह-33-2014, दिनांकः जून 06 ,2018

(11)

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश ।

विषयः- न्यूनतम दैनिक मजदूरी पर दैनिक मजदूर रखे जाने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक कृपया पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः बारह-33-2009 दिनांकित 19-07-2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें ,जिसके द्वारा पुलिस विभाग के समस्त जनपदों/इकाईयों हेतु मेस में खाना खाने वाले कार्मिकों की संख्या अधिक होने के कारण राजाज्ञा संख्याः 194/36-03-2014-07(न्यू0वे0)/04 दिनांक 28-01-2014 निर्देशों के अनुरूप समस्त जनपदों/इकाईयों के मेस में आवश्यकतानुसार न्यूनतम दैनिक मजदूरी के आधार पर कुक/कहार रखकर भोजन तैयार कराने एवं अन्य कार्यो हेतु अल्प अवधि हेतु मजदूरों की व्यवस्था करने हेतु एवं उक्त व्यवस्था में आने वाला व्यय-02-मजदूरी मद से वहन करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

2- प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर के पत्र संख्याः 186-266/प्रवर्तन0-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 28-03-2018 के साथ संलग्न अनुलग्नक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों मे देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें राजाज्ञा संख्याः 194/36-3-2014-07(न्यू0वे0)/04 दिनांक 28-01-2014 को निम्नानुसार पुनः संशोधित किया गया है **(छाया प्रति संलग्न)**। संशोधित दरों को मजदूरो की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग बोल्ड लेटर में अंकित किया गया है जो निम्नवत् है :-

क0सं0:	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रू0 में	**प्रतिमाह कुल मजदूरी रू0 में**	**दैनिक मजदूरी रू0 में**
1	2	3	4	5
1.	**अकुशल**	5750.00	पूर्व दर- 7107.64	273.37
			वर्तमानदर- 7613.42	**292.82**
2.	**अर्द्ध कुशल**	6325.00	पूर्व दर- 7818.40	300.71
			वर्तमानदर- 8374.77	**322.11**
3.	**कुशल**	7085.00	पूर्व दर- 8757.85	336.84
			वर्तमानदर- 9381.06	**360.81**

3- इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्याः बारह-33-2009 दिनांकित 19-07-2016 को संशोधित मानकर वर्तमान दर के अनुरूप समस्त जनपदों/इकाईयों के मेस में आवश्यकतानुसार न्यूनतम दैनिक मजदूरी के आधार पर कुक/कहार रखकर भोजन तैयार कराने एवं अन्य कार्यो हेतु अल्प अवधि हेतु मजदूरों की व्यवस्था संशोधित दर के आधार पर की जा सकती है, साथ हीं उक्त व्यवस्था में आने वाला व्यय मानक मद "02-मजदूरी" से वहन किया जायेगा । इसके अतिरिक्त उक्त व्यवस्था अल्प अवधि हेतु ही करने तथा यथासंभव मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

4- अतएव उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नकः यथोक्त।

6/6

(बी0पी0 जोगदण्ड)
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रज्ञापना सं0 194/36-3-2014-07(न्यू0वे0)/04, दिनांक 28.01.2014 द्वारा अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारी हेतु मजदूरी की मूल दरें एवम् देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की ये दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर दैनिक दर का 1/8 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जुलाई, 2017 से दिसम्बर, 2017 के औसत अंक 286 (दो सौ छियासी) पर दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय होगा–

दृष्टान्त :– रूपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 286 पर दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्न प्रकार देय होगा–

$$\frac{(286-216)}{216} \times 5750 = \text{रु0 } 1863.42 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं–

क्र0	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (रूपये में)		दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक	
			दिनांक 01.10.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक	दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3)+(5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (6)÷26
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750.00	1666.46	1863.42	7613.42	292.82
2	अर्द्ध कुशल	6325.00	1915.51	2049.77	8374.77	322.11
3	कुशल	7095.00	2033.68	2286.06	9381.06	360.81

नियोजनों के नाम :–

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिष्ठान उद्योग।
4. वातित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवम् प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13. धुलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी संकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राईवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वानिकी (फारेस्ट्री) लकड़ी बनाने और चिरान कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उनको मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकान।
27. वाणिज्य अधिष्ठान।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. चिकन के कार्य।
36. दियासलाई उद्योग।
37. आईसकैण्डी / आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।

39. बर्फ विनिर्माणशाला।
40. एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
41. सफाई और धुलाई अधिष्ठान।
42. जिल्दसाजी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पाटरी, सिरेमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा छपाई।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी।
50. कत्था।
51. जरदोजी (रेशम की साड़ी की बुनाई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रक्षालन के साबुन या डिटर्जेन्ट या साबुन का चूर्ण या प्रसाधन सामग्री।
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
54. खाण्डसारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति चालित करघा उद्योग।
57. छीटा (मिनिएचर) वस्त्र एवम् कौन उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईंट भट्ठा उद्योग।

(आर०पी०गुप्ता)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

पत्र सं0– 186-215/प्रवर्तन0–(एम0डब्लू0) /15 दिनांक 28/3/, 2018

प्रतिलिपि:–

1. समस्त क्षेत्रीय अपर /उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध करायें।
2. अनुसचिव उ0प्र0 शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई–मेल wagecell@nic.in के माध्यम से।
4. प्रशासनिक अधिकारी, संख्या प्रभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिवर्तनीय महंगाई भत्ता आदेश पूर्व में संख्या प्रभाग से जारी होता रहा है, अतएव पूर्व की भांति अग्रेतर प्रत्येक छमाही में जारी होने वाले परिवर्तनीय महंगाई भत्ता आदेश नियमानुसार समय से जारी कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
6. अपर श्रमायुक्त, (आई0आर0), मुख्यालय।
7. अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
8. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
9. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

(आर०पी०गुप्ता)
उप श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश।